

राजस्थान सरकार

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक, राजस्थान

01432-247389, मो0न0-9667489786 ई-मेल-[maapri-rj@nic.in](mailto:maapri-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ0 26 (3)पार्ट-VII/केयर टेकर/एपीआरआई/2020-21/2846 दिनांक: 31/12/2021

### निविदा सूचना

इस निदेशालय में दिनांक 15.01.2022 से 14.01.2023 तक के लिए निम्नलिखित कार्यों की खुली निविदाएं रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी से जॉब बेसिस के आधार पर आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	निविदा फार्म शुल्क	अमानत राशि 02 प्रतिशत	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि
01.	बागवानी कार्य - सम्पूर्ण भवन परिसर के अंतर्गत लॉनों का सुव्यवस्थित ढंग से मेंटीनेन्स -मशीन, सामग्री एवं उपस्कर सहित।	4.70 लाख रुपये	500/- नकद/DD in favour of Director MAAPRI, Tonk	9400/- DD/Banker Cheque in favour of Director MAAPRI, Tonk	11.01.2022 समय- दोपहर 01.00 बजे तक।	11.01.2022 समय- सांय 03.00 बजे
02.	चौकीदार कम अटेण्डेन्ट कार्य - भवन परिसर में स्थित चारों बिल्डिंगों एवं सम्पूर्ण परिसर की चौकीदारी का कार्य मय सामग्री एवं उपस्कर सहित।	2.80 लाख रुपये	500/- नकद/DD in favour of Director MAAPRI, Tonk	5600/- DD/Banker Cheque in favour of Director MAAPRI, Tonk	11.01.2022 समय- दोपहर 01.00 बजे तक।	11.01.2022 समय- सांय 03.00 बजे
03.	01.प्लम्बर कार्य - भवन परिसर में स्थित चारों बिल्डिंगों एवं सम्पूर्ण परिसर में पानी की लाइनों आदि का मेंटीनेन्स कार्य। 02. विद्युत संबंधी कार्य -भवन परिसर में स्थित चारों बिल्डिंगों एवं सम्पूर्ण परिसर की विद्युत लाइनों एवं उपकरणों का मेंटीनेन्स कार्य।	3.00 लाख रुपये	500/- नकद/DD in favour of Director MAAPRI, Tonk	6000/- DD/Banker Cheque in favour of Director MAAPRI, Tonk	11.01.2022 समय- दोपहर 01.00 बजे तक।	11.01.2022 समय- सांय 03.00 बजे

निविदा क्र0सं0 01, 2, 3, के लिए अलग-अलग निविदा प्रपत्र क्रय कर भरना आवश्यक है तथा निविदा प्रपत्र मय शर्तों सहित किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 11 से सांय 05.00 बजे तक निर्धारित शुल्क नकद/डी0डी0 के रूप में जमा कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के नियम एवं शर्त की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार के पोर्टल <http://sppp.rajasthan.nic.in> तथा संस्थान की वेबसाइट [www.maapritonk.nic.in](http://www.maapritonk.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

संलग्न : निविदा शर्त

(सौलत अली खान)

निदेशक

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद  
अरबी फ़ारसी शोध संस्थान  
टोंक, राजस्थान

**रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी से जॉब बेसिस के आधार पर कराये जाने वाले बागवानी, विद्युत,  
पलम्बर एवं चौकीदार कम अटेण्डेन्ट के कार्यों के लिए निविदा शर्त :-**

**निविदा दिनांक 15.01.2022 से 14.01.2023**

निविदा देने वालों को इन शर्तों को सावधानी से देखना एवं समझना चाहिए। निविदा देते समय इनका पूर्ण पालन करना चाहिए। यदि निविदादाताओं के निविदा सूचना शर्तों की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इनके बारे में सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। निविदादाता इसे मानने के लिए बाध्य होंगे।

1. निविदा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील बंद किये गये लिफाफे में ही स्वीकार की जावेगी। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में निविदा पर जॉब बेसिस कार्य आपूर्ति हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है एवं दरें अंको व शब्दों में अंकित की जाए। उक्त दरें निविदा फार्म आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी। टेण्डर अवधि नियमानुसार आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम 3 माह के लिए विस्तारित की जा सकती है।
5. कार्य का समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक का होगा लेकिन आवश्यक कार्य होने के कारण समय से पूर्व एवं बाद तक रोका जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। संवेदक को कार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।
6. जिस कार्य के लिए अनुबन्ध किया गया है यदि समय पर कार्य नहीं किया जाता है तो इससे होने वाली हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
7. दरे अनुमोदित होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से सात दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ कराना आवश्यक होगा अन्यथा शर्त सं0 11 के हिसाब से शास्ति देय होगी।
8. संवेदक द्वारा अपने नियुक्त श्रमिक/कार्मिकों को प्रतिमाह मानदेय की राशि उनके बैंक खाते में जमा कराकर उसकी प्रतिलिपि संस्थान को आगामी तीन दिवस में उपलब्ध कराना आवश्यक है। अन्यथा आगामी माह का भुगतान लम्बित रहेगा।
9. जॉब बेसिस पर कार्यरत व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उस व्यक्ति की जगह फर्म को दूसरा व्यक्ति तीन दिवस में रखकर नियमानुसार सूचित करना होगा।
10. जॉब बेसिस के आधार पर रखे जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली किसी भी हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
11. कार्य विलम्ब से होने की स्थिति में शास्ति निम्नानुसार देय होगी:-  
अ- कार्य हेतु दी गई अवधि के 1/4 अवधि से कम में कार्य कराने पर प्रतिमाह की दर का 2 प्रतिशत  
ब- कार्य हेतु दी गई अवधि के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 तक अवधि में कार्य कराने पर प्रतिमाह की दर का 5 प्रतिशत  
स- कार्य हेतु दी गई अवधि के 1/2 से अधिक लेकिन 3/4 तक अवधि में कार्य कराने पर प्रतिमाह की दर का 7.5 प्रतिशत  
द- कार्य हेतु दी गई अवधि के 3/4 से अधिक लेकिन कार्य कराने हेतु दी गई अवधि तक प्रारम्भ नहीं कराने पर प्रतिमाह की दर का 10 प्रतिशत।
12. यदि समय पर कार्य नहीं कराने की स्थिति में विभाग अपने स्तर पर यदि कार्य कराता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
13. आदेशित कार्य प्रारम्भ नहीं कराने की स्थिति में इसे अनुबन्ध का खण्डन माना जावेगा एवं निदेशक संस्थान को प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. प्रतिभूति राशि निविदा राशि की 5 प्रतिशत होगी। अमानत राशि/प्रतिभूति राशि नियमानुसार नकद/बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 द्वारा जमा कराई जा सकती है। सफल निविदा दाता को सात दिवस के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। अनुमोदित फर्म की अमानत राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

लगातार.....

**निदेशक**

(2)

15. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि नियत अवधि में जमा कराने के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी। प्रतिभूति राशि अनुबन्ध समाप्ति के छः माह पश्चात् वापिस कर दी जावेगी। इस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
16. सफल निविदादाता 500/- के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र Letter of Acceptance के पश्चात सात दिवस में अनुबन्ध कर प्रस्तुत करना होगा।
17. फर्म को सर्विस टैक्स/आयकर एवं अन्य कर जो राज्य सरकार को देय हो नियमानुसार जमा कराने होंगे तथा फर्म का GST, ESI, EPF के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। विगत तीन वर्षों का आईटीआर रिटर्न एवं 04.00 लाख रुपये टर्न ओवर से संबंधित सीओए0 द्वारा ऑडिट रिपोर्ट एवं पेन कार्ड आदि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ सलंगन करना अनिवार्य है।
18. क्वाटर पूर्ण होने के पश्चात् आगामी 10 दिवस के अन्तर्गत संस्थान में जी0एस0टी0 रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार भुगतान रोक दिया जावेगा।
19. फर्म द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के ऑनलाईन भुगतान का ब्यौरा प्रति माह 10 दिवस तक संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।
20. समस्त कार्यो जैसे बागवानी, सफाई एवं चौकीदारी से संबंधित सामग्री एवं उपस्कर निविदादाता को स्वयं व्यवस्था करना होगा तथा विद्युत एवं पलम्बर कार्य से संबंधी सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जबकि कार्य करने के औजार एवं उपस्कर निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा तथा सभी संवदेक के कार्मिक कार्यालय समय में प्रतिदिन निर्धारित वेशभूषा में आयेगें।
21. निविदा डालने से पूर्व संबंधित कार्य का सर्वे संस्थान में कार्यालय समय में आकर कर सकते है।
22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनो के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त (G&I) विभाग के पत्र क्रमांक एफ02(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के परिपत्र का पालन करना होगा।
23. निदेशक, संस्थान को निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का बिना कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा।
24. निविदा का न्याय क्षेत्र मुख्यालय टोंक शहर होगा।

(सौलत अली खान)

निदेशक

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद  
अरबी फ़ारसी शोध संस्थान  
टोंक, राजस्थान